


श्रीधारा खनाम सरकार

उपखण्ड 56/दोवा/20
ता. दो. 17/03/2020

15/04/2021 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
तहसील से रिपोर्ट के अनुसार खस विधान कमिशनर
सुनी गई। पत्रावली का खस विधान किया। वाद वादी
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अथक से टंकण
कराया जाकर वाद फाट किया गया। फर्द डिक्री जारी हो।
पत्रावली फिलाने सुभार की जावे व लम्ब (से काम की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड